न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 199 / 2024 तारीख रजू:—12.09.2024

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. कल्ला पुत्र श्रीचन्द, जाति जाट निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ जिला करौली, राजस्थान ——————————————————————वादी

बनाम

1. कुम्हेर सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान।
2. सोहनसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ जिला करौली।
3. रुपवती पत्नि गोविन्द सिंह पुत्री रतनसिंह, निवासी महूइब्राहिमपुर, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

4.	तीर्थराज	पिसरान निहालसिंह,
5.	सर्वेश सिंह	जाति जाट,
6.	गोवर्धन सिंह	निवासी जटवाडा,
7.	सुरेश सिंह	तहसील सूरौठ

8. मछला देवी पुत्री निहालसिंह पत्नि केशव, जाति जाट, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान।
9. चन्दा पुत्री निहालसिंह, पत्नि जगवीरसिंह, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान।

10.	अमरसिंह पुत्र स्व धन्ना	समस्त जाति जाट निवासी जटवाडा,
11.	श्यामसिंह पुत्र स्व. धन्ना	तहसील सूरौठ,
12.	समयसिंह पुत्र धन्ना	जिला करौली
13.	राधेश्याम पुत्र धन्ना	राजस्थान।
14.	विजेन्द्र सिंह पुत्र धन्ना	

15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील सूरौठ ——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा इस्तकरारहक व
खातेदारी हुक्म इक्तनाई दबामी

उपस्थितः—1. श्री धनपाल यादव एडवोकेट वादी
2. श्री लखन लाल गोयल एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :—13.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादी ने दावा बाबत इस्तकरारहक व खातेदारी हुक्म इक्तनाई विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 1286 रकबा 59 ऐयर, 1287 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम जटवाडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली में स्थित है जिसके मृतक रतन पुत्र चन्दन व धन्ना पुत्र चन्दन, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ के खातेदार काश्तकार थे, दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक रतन के प्रतिवादी सं. 1 ता 9 जायज वारिस व कायम मुकाम कानूनी हैं तथा मृतक धन्ना के प्रतिवादी स. 10 लगायत 14 जायज वारिस व कायम मुकाम कानूनी है जिनके खिलाफ वादी को आराजी उपरोक्त का दावा लाने का कानूनी हक है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि मृतक रतन व धन्ना आराजी खसरा नं. 1286 व 1287 के 1/3 हिस्से 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। जिन्होनें दिनांक 23.08.1997 को जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड आराजी खसरा नं. 1286 व 1287 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2/3 भाग में से 1/2 हिस्सा मुबलिग 44,500 रुपये शब्देन चम्वालीस हजार पाँच सौ रुपये में वादी को बेचान कर मौके पर कब्जा करा दिया था तभी से वादी उपरोक्त आराजी के 1/2 भाग का स्वामी व मालिक हो गया तथा तभी से उपरोक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि वादी व मृतक रतन व धन्ना के घरेलू सम्पर्क थे, किसी के दिल व मन में कोई बेईमानी नहीं थी, अतः

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त वयनामा के आधार पर खातेदारी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किन्तु अब परिवार बड़े हो गये है, कभी भी आपस में कोई भी मनमुटाव हो सकता है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादीगण से खातेदारी कराने की कहा तो टालम–टोल करते रहे तथा पटवारी साहब के पास रजिस्ट्री लेकर गये तो श्रीमान के यहाँ दावा करने की कहा. अतः श्रीमान के यहाँ दावा करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि विनाय दावा बखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 10.07.2024 को प्रतिवादीगण से खातेदारी की कहने व उनके द्वारा टालम–टोल करने से बमुकाम जटवाडा, तहसील सूरौठ पैदा हुआ है, अतः दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि विनाय दावा व मालीयत मुकदमा व सकूनत फरीकेन व पैदा होने विनाय दावा श्रीमान को दावा हाजा सुनने का पूर्ण अधिकार है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट. व निश्चित न्यायशुल्क 2 रुपये पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न भाँति डिक्री करने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र के मद नं0 8 में उपमद 8 (क) में दर्ज किया है कि दावा वादी इस्तकरार हक व खातेदारी इस अम्र का डिक्री किया जावें कि आराजी खसरा नं. 1286, 1287 के 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा मुताबिक वयनामा खातेदारी की घोषणा वादी के नाम की जावें।

वाद पत्र के मद नं0 8 में उपमद 8 (ख) में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावें प्रतिवादीगण, वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादी को शांति पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपयोग–उपभोग करने देवें तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ें।

वाद पत्र के मद नं0 8 में उपमद 8 (ग) में दर्ज किया है कि अन्य न्यायोचित अनुतोष बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जायें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.01.2025 को प्रतिवादी सं0 1 ता 14 की ओर से श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं इकबालिया जबावदावा पेश किया। इकबालिया जबावदावा पेश कर जबाव वाद पत्र के मद नं0 1में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 1 स्वीकार है।

जबाव वादपत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 2 स्वीकार है।

जबाव वादपत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार है ।

जबाव वादपत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मदनम्बर 4 इस तरह स्वीकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण की खातेदारी कराने को कभी नहीं कहा ।

जबाव वादपत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मदनम्बर 5 इस तरह स्वीकार है कि वादी से प्रतिवादीगण ने कभी भी खातेदारी कराने को कभी मना नहीं किया है।

जबाव वादपत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 6 स्वीकार है ।

जबाव वादपत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वादयत्र का मद नम्बर 7 स्वीकार है।

जबाव वादपत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नम्बर 8 स्वीकार है। प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1286, 1287 के 2/3

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भाग के हिस्से में से 1/2 हिस्से मुताबिक वयनामा खातेदारी कराने में कोई ऐतराज नही है।

उज्रात मजीद

जबाव वादपत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1286, 1287 स्थिा ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ, जिला करौली के 2/3 भाग में से 1/2 भाग मुताबिक वयनामा मुतजिक्रा मदनम्बर 2 वाद पत्र की खातेदारी वादी के नाम किये जाने से कोई एतराज नही है।

अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादी का दावा डिक्री किया जावें।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–77 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2049–52 प्रदर्श–4, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1997 उनवानी रतन धन्ना पिसरान श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श–2 पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–77 प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ की खातेदारी अमरसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, कुम्हेरसिंह पुत्र रतन हि0 1/18, कल्ला पुत्र श्रीचन्द हि0 1/3, जगमोहन पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

घीस्या हि0 1/6, निहालसिंह पुत्र रतन हि0 1/18, बृजमोहन पुत्र घीस्या हि0 1/6,राधेश्याम पुत्र धन्ना हि0 1/30, विजेन्द्रसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, श्यामसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, समयसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, सोहनसिंह पुत्र रतन हि0 1/18 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2049–52 प्रदर्श–4 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घीस्या रतन धन्ना पि0 चन्दन जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 46 दिनांक 18.06.1992 के द्वारा खाता विरासत से मृतक घीस्या के बजाय खातेदारी बृजमोहन जगमोहन पि0 घीस्या के नाम स्वीकार हुई, शेष हिस्सा जमाबन्दी के मुताविक बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1997 उनवानी रतन धन्ना पिसरान श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन में विक्रेतागण प्रथमपक्ष रतन, धन्ना पिसरान श्री चन्दन हि0 2/3 भाग सम्पूर्ण का बेचान क्रेता द्वितीय पक्ष कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन के हक में किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेता द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन में से विक्रेतागण प्रथमपक्ष रतन, धन्ना पिसरान श्री चन्दन हि0 2/3 भाग सम्पूर्ण का बेचान क्रेता द्वितीय पक्ष कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन के हक में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया गया है तथा विक्रीत भूमि के बाबत् उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी अपने नाम खातेदारी कराना चाहता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज विक्रेता फौत हो चुके हैं। इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता द्वितीय पक्ष कल्ला पुत्र श्रीचन्द के हक में नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं हुक्मईम्तनाई दवामी डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं हुक्मईम्तनाई दवामी डिक्री किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1997 उनवानी रतन धन्ना पिसरान श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ का क्रेता कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा के हक में नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. कल्ला पुत्र श्रीचन्द, जाति जाट निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ जिला करौली, राजस्थान ——————————————————————वादी

बनाम

1. कुम्हेर सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान।
2. सोहनसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ
3. रुपवती पत्नि गोविन्द सिंह पुत्री रतनसिंह, निवासी महूइब्राहिमपुर, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

4.	तीर्थराज	पिसरान निहालसिंह,
5.	सर्वेश सिंह	जाति जाट,
6.	गोवर्धन सिंह	निवासी जटवाडा,
7.	सुरेश सिंह	तहसील सूरौठ

8. मछला देवी पुत्री निहालसिंह पत्नि केशव, जाति जाट, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान।
9. चन्दा पुत्री निहालसिंह, पत्नि जगवीरसिंह, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान।

10.	अमरसिंह पुत्र स्व धन्ना	समस्त जाति जाट निवासी जटवाडा,
11.	श्यामसिंह पुत्र स्व. धन्ना	तहसील सूरौठ,
12.	समयसिंह पुत्र धन्ना	जिला करौली
13.	राधेश्याम पुत्र धन्ना	राजस्थान।
14.	विजेन्द्र सिंह पुत्र धन्ना	

15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील सूरौठ ——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत् इस्तकरार हक,
व खातेदारी, हुक्मईम्तनाई दवामी

मुकदमा नं0199/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री धनपाल यादव एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1997 उनवानी रतन धन्ना पिसरान श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ का क्रेता कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी जटवाडा के हक में नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

13/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली